INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.828 (SJIF 2022)

सरदार वल्लभ भाई पटेलः आधुनिक भारत के विश्वकर्मा
(Sardar Vallabhbhai Patel: Vishwakarma of Modern India)

राज मलवाण
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर (राजस्थान, भारत)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/08.2022-88925528/IRJHIS2208010

शोध सारांशः

सरदार वल्लभ भाई पटेल को 'सरदार पटेल' के नाम से भी जानते हैं। जिन्होंने सम्पूर्ण रूप से भारतीय गणतंत्र के प्रति अपने आपको समर्पित किया। सरदार पटेल को 'संयुक्त भारत के निर्माता' के नाम से भी जानते हैं। हमारे बीच में वे लोकप्रिय रूप से 'लौह पुरुष' के नाम से विख्यात है। उनमें संगठन क्षमता, दृढ़ संकल्प, बहादुरी और साहस जैसे गुण विद्यमान रहें, जो एक नेता के लिए अनिवार्य है। उनके व्यक्तित्व में तीन महत्वपूर्ण गुण–वचन बद्धता, आत्म समर्पण और जिम्मेदारी विद्यमान रहे। उन्होंने विविध लेकिन समृद्ध भारत का सपना संजोया था। वे एक महान सामाजिक नेता थे। उनकी राजनीतिक प्रतिभा उनके महत्वपूर्ण योगदानों में प्रतिध्वनित होती है, विशेष रूप से ब्रिटिश शासकों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में उनकी असली प्रतिभा निखर कर सामने आयी थी। वे सरदार कहे जाते थे जिसका मतलब मुखिया होता है। यह उनका दुर्लभ गुण था कि वे भीड़ का नेतृत्व अति नियंत्रित तरीके से करते थे, इसलिए उनको सरदार कहा गया। आजाद भारत के गृहमंत्री एवम् उप–प्रधानमंत्री के रूप में उनका सर्वाधिक बेहतर योगदान सैकड़ों शाही रियासतों के भारत संघ में विलय के रूप में जाना जाता है। भारत के एकीकरण के उनके अथक प्रयास की वजह से ही उनको अखंड भारत के निर्माता के रूप में देखा जाता है। वे नेताओं के बीच शेर की हैसियत से रहे और इसीलिए उन्हें लौह पुरुष कहा गया। आधुनिक तौर पर अखिल भारतीय सेवा को फिर से नये सिरे से स्थापित करने का श्रेय उनको ही जाता है। यह उनकी बुद्धिमता और व्यवहारिकता ही रही कि वो भारत के दुर्लभ सशक्त नेता के रूप में स्थापित हो गए। महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के साथ पटेल भी आधुनिक भारत के अग्रगण्य नेता के रूप में स्थापित हो गए। उन्होंने राष्ट्र की जनता को प्रेरित एवं जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस शोध पत्र में हम भारत के एकीकरण या अखण्ड भारत के निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे।

मुख्य शब्दः *लौह पुरूष, संगठन क्षमता, वचन बद्धता, राजनीतिक प्रतिभा, सामाजिक नेता, अखंड भारत के निर्माता, बुद्धिमता, व्यावहारिकता, सशक्त नेता आदि।*

संक्षिप्त परिचयः

सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। सरदार पटेल अपने भाई–बहनों में सबसे छोटे और चौथे नंबर पर थे। इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में मेट्रिक की पढ़ाई पूरी की और कई सालों तक घरवालों से दूर रहकर अपनी वकालत की पढ़ाई की, जिसके लिए उन्हें उधार किताबे लेनी पड़ती थी। इस दौरान उन्होंने नौकरी भी की और परिवार का पालन भी किया। एक साधारण मुनष्य की तरह ही वे जिंदगी से लड़ते–लड़ते आगे बढ़ते रहे, इस बात से बेखबर कि वे देश के लौह पुरूष कहलाने वाले हैं।

इंग्लैण्ड जाकर उन्होंने वकालत की 36 महीने की पढ़ाई को 30 महीने में पूरा किया, उस वक्त उन्होंने कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद वापस स्वदेश लौट कर अहमदाबाद में एक सफल और प्रसिद्ध बेरिस्टर के रूप में कार्य करने लगे। इंग्लैण्ड से वापस आये थे, इसलिए उनकी चाल ढ़ाल बदल चुकी थी। वे सूट–बूट यूरोपियन स्टाइल में पहनने लगे थे। उनका सपना था कि वे बहुत पैसे कमाये और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे। लेकिन नियति ने उनका भविष्य तय कर रखा था। गॉधी जी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने सामाजिक बुराई के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। भाषणों के जरिए लोगों को जागृत किया। इस प्रकार रूचि ना होते हुए भी धीरे–धीरे सरदार पटेल सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए।

सरदार पटेल ने सबसे पहले गुजरात के स्थानीय क्षेत्रों में शराब, छुआछुत एवं नारियों के प्रति अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने हिन्दू–मुस्लिम एकता को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की। सन् 1917 में सरदार पटेल ने गांधीजी के नेतृत्व में खेड़ा के किसानों के लिए आवाज उठाई। सरदार पटेल ने किसानों को 'कर' ना देने के लिए मना किया तथा अंग्रेजी हुकुमत को झुकने के लिए मजबूर किया। यह उनकी सबसे पहली बड़ी जीत थी, जिसे खेड़ा आन्दोलन के नाम से याद किया जाता है।

सरदार पटेल ने गांधी जी के हर आन्दोलन में उनका साथ दिया। उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार और खादी को अपनाया तथा देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय योगदान दिया। सरदार पटेल ने बारडोली में भी सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह 1928 में साइमन कमिशन के खिलाफ किया गया था। इसमें सरकार द्वारा बढ़ाये गये 'कर' का विरोध किया गया। किसानों के बढ़ते विरोध के कारण ब्रिटिश वायसराय को झुकना पड़ा। इस बारडोली सत्याग्रह के कारण पूरे देश में वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के लोग सरदार कहने लगे, जिसके बाद उन्हें सरदार पटेल के नाम से ख्याति मिलने लगी।

सरदार पटेल ने देश की स्वतंत्रता के लिए किये गए सभी आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इनकी वाक् शक्ति ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिस कारण उन्होंने देश के लोगों को संगठित किया। इनके प्रभाव के कारण ही एक आवाज पर आवाम इनके साथ हो चलती थी। आजादी के बाद वे देश के गृहमंत्री एवं उपप्रधानमंत्री चुने गए। वैसे सरदार पटेल प्रधानमंत्री के प्रथम दावेदार थे। उन्हें कांगेस पार्टी के सर्वाधिक वोट मिलने के पूरे आसार थे लेकिन गांधीजी के कारण उन्होंने स्वयं को इस दौड़ से दूर रखा। सरदार पटेल की पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में शामिल करना था। इस कार्य को उन्होंने बगैर किसी बड़ी लड़ाई–झगड़े के बखूबी पूरा किया। चूंकि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया। 15 दिसम्बर, 1950 को उनकी मृत्यु हो गई और यह लौह पुरुष दुनिया को अलविदा कह गया।

भारत के एकीकरण के नायक की विरासतः

आजकल के युग में भारत की जो भी भौगोलिक तस्वीर दिख पड़ती है, वो निश्चित रूप से सरदार पटेल की संपदा है, जो असहयोग आन्दोलन के समय से जुड़े रहे और राष्ट्र के स्वतंत्र होने की प्रक्रिया में उनका अतुलनीय योगदान है। राष्ट्र निर्माण में भी उनके अपरिमित योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। वे महात्मा गांधी के प्रबल समर्थक रहे जिन्होंने गॉधी के सिद्धान्तों–अहिंसा और सत्याग्रह जैसे विचारों में अटूट

विश्वास जताया।[1] उन्होंने अपनी वास्तविक प्रतिभा का खेड़ा सत्याग्रह (1915–18) एवं बारडोली सत्याग्रह (1928) में परिचय दिया। उन्होंने उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये की आलोचना की जो कि उन्होंने खेड़ा में प्राकृतिक आपदा आने एवं क्षतिपूर्ति अदा करने में दिखाई। उनकी प्रतिक्रिया बारडोली के शासकों के विरूद्ध भी रही क्योंकि तत्कालीन शासन तंत्र ने ग्रामीणों के द्वारा कर सुधार के माँगों की उपेक्षा की। इन आन्दोलनों ने दमनकारी शासकों के खिलाफ चुनौतियां ही खड़ी नहीं की, बल्कि सरदार पटेल को भी जनता का नेता बना दिया।[2] ये ऐसे आन्दोलन रहे जहां सरदार पटेल ने गॉधी जी के सिद्धान्तों का प्रयोग किया जिसका उल्लेख करना स्वाभाविक है। सन् 1930 में उन्होंने गॉधीजी के साथ नमक आंदोलन में भी हिस्सा लिया।

आजादी मिलने के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य शाही रियासतों के भारतीय संघ में विलय का रहा, जिसकी प्रक्रिया में देश को काफी झंझावतों का सामना करना पड़ा। सरदार पटेल ने इस असंभव प्रतीत होने वाले कार्य का जिम्मा अपने हाथों पर लिया और सबको दिखा भी दिया कि किसी तरह से ये सारे शाही रियासत भारतीय संघ में मिलने के लिए राजी हुए और भारतीय संघ का हिस्सा बन गए। इस प्रक्रिया में उनका सबसे पहला ध्यान उड़ीसा की तरफ गया और फिर वे काठियावाड़ और राजपूताना रियासतों के प्रति केंद्रित हो गए। काठियावाड़ में 222 रियासतें रही जिन्होंने पटेल की नसीहतों पर ध्यान दिया। 15 फरवरी, 1948 को 'यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ काठियावाड़' का गठन हुआ। इसके बाद इस आन्दोलन में तेजी आ गई। थोड़े ही समय में राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्रीय भारत भी भारतीय संघ में शामिल हो गए। उस समय मैसूर ही एक ऐसा राज्य रहा जो इस धारा से अलग रहा। सरदार पटेल के कद्दावर नेतृत्व ने विलय या एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इस प्रक्रिया की मुख्य विशेषता यह रही कि बिना किसी रक्त प्रवाह के इतनी शानदार सफलता मिली। अपनी राजनीतिक प्रतिभा के बलबूते सरदार पटेल ने विभाजन की समस्या का निपटारा किया और कानून व्यवस्था की स्थिती भी बहाल की। इनके व्यक्तित्व और नेतृत्व के द्वारा हजारों शरणार्थियों का बड़ी हिम्मत और दूरदर्शिता के साथ निपटारा किया गया। यह केवल सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता का ही तकाजा रहा कि यह एकीकरण की जटिल समस्या सुलझ गई। आज हम भारत की जो स्थिती देखते हैं, तो यह वाकई में सरदार पटेल के प्रयासों का ही सुखद परिणाम है।

सरदार पटेल एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जो अपने ज्ञान एवं कला–कौशल के बलबूते खड़ा हो। उनका प्रबल विश्वास था कि जो राष्ट्र अपने भरोसे और अपने ज्ञान के बलबूते खड़े रहते है, वही शांति और समृद्धि ला सकते हैं। यह भी एक हकीकत है कि पं. जवाहर लाल नेहरू ने तीन राज्यों–जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ एवं हैदराबाद के भारत संघ में विलय प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, लेकिन यही पर सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए इन तीनों राज्यों का भारतीय संघ में विलय कर दिया। उनके द्वारा इस दुःसाध्य कार्य को अंजाम देने की वजह से इन्हें 'बिस्मार्क ऑफ नेशन' की उपाधि से विभूषित किया गया। इसलिए इतिहास एक और तथ्य को रेखांकित करता है कि 'बिना महात्मा के पटेल नहीं होते, और बिना पटेल के महात्मा भी नहीं होते।' रियासतों के भारत संघ में विलय प्रक्रिया के लिए पटेल ने श्री वी.पी. मेनन से मदद माँगी जिनके साथ उन्होंने भारत विभाजन के दौरान कार्य किया। श्री वी.पी. मेनन उनके सहायक हो गये तथा उन्होंने 'मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी' के हैसियत से कार्य किया। 6 मई, 1947 को पटेल ने सक्रियता

के साथ सारे राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया। अपने कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक कला कौशल एवं कूटनीति का इस्तेमाल किया। रियासतों के नवाबों से उन्होंने मुलाकात करके राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया की रूप रेखा खींची और स्वतंत्र तथा समृद्ध एकीकृत भारत के निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान दिया। इसके लिए उन्होंने 'प्रिवीपर्स की नीति' का प्रयोग किया और रियासतों के विलय को अंजाम दिया।

गृहमंत्री और राज्यों के मंत्री के रूप में वल्लभ भाई पटेल ने तर्क दिया कि ''हमारे पास स्वराज नहीं है और इसके लिए हमें जाति एवं सम्प्रदाय के भेद को खत्म करना है, अस्पृश्यता का त्याग करना है और भूखे लोगों की तकदीर को बदलना है। एक नई जिंदगी का सृजन करना है जो संस्कृति को बदल दें।''[4] उनकी प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भूमिका संविधान सभा की कार्यपद्धति के निर्धारण में भी रही। यह केवल उन्हीं की पहल का ही नतीजा रहा कि डा. बी.आर. अम्बेडकर को गैर कांग्रेसी होते हुए भी संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करे। इस संबंध में डॉ. अंबेडकर ने स्वयं सरदार पटेल का आभार जताया।

रियासतों के भारतीय संघ में शामिल होने के इन्कार किए जाने के बाद सरदार पटेल ने कहा, ''उन दिनों में, हम भी यही सोच रहे थे कि रियासतों के नवाबों से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे कत्तई आजाद नहीं थे। मैंने विश्वास किया कि जिस समय से वे स्वतंत्र होंगे, वे भी अपनी तरफ से देशभक्ति की भूमिका का निर्वहन करेंगे।'' सन् 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल उद्देश्य है, जो समग्र भारत के लिए है, जिसमें सारे राज्य सम्मिलित है।

प्रशासक के रूप में पटेलः

एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में पटेल ने अनुभव किया कि प्रशासन कई आंतरिक वजहों से बुरी तरह प्रभावित है क्योंकि कैबिनेट के भीतर गहरा असंतोष व्याप्त है, नौकरशाही के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कमजोर क्षेत्रीय राजनीतिक संरचना है और पड़ोसी देशों का भी आक्रमण रूख है। सरदार पटेल ने यह महसूस किया कि कैबिनेट में हर फैसले मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था की योग्यता और कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। सरकारी मामलों के संदर्भ में पटेल ने कहा–'पिछले साल मेरे कार्यकाल में मुझे अनुभव हुआ कि मुस्लिम लीग के साथ कुछ भी रचनात्मक कर पाना कत्तई असंभव था। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने सत्ता में रहते हुए कुछ भी नहीं किया, वरन् रोड़े अटकाये और उनके दृष्टिकोणों में पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने की भावना निहित रहती थी।'' इतना ही नहीं, कैबिनेट के सदस्यों के मध्य उपजे असंतोष की वजह से कभी–कभी पं. नेहरू और पटेल में भी शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में मतभेद उभरे। इस सम्बन्ध में सरदार पटेल ने वर्णन किया कि–''मेरा अपना वक्तव्य वापस ले लेने का मतलब यह कत्तई नहीं है मैं जवाहर लाल जी के सारे दृष्टिकोणों एवं विचारों से सहमत हूं। उदाहरण के लिए, मैं वर्ग–संघर्ष में कत्तई विश्वास नहीं करता हूं। क्योंकि कांग्रेस सत्य और अहिंसा को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनिवार्य साधन मानती है, कांग्रेसियों को यह विश्वास करना पड़ेगा कि अभी भी हम उनको कमजोर कर सकते हैं जो जनता को मार रहे हैं, जो कि मानवता के खिलाफ हैं।''

यह केवल पटेल जी का ही अनुशासित एवं ऊर्जा युक्त जीवन रहा, जिसको देखते हुए जमशेद जी टाटा ने एक बार टिप्पणी की कि ''मैंने अक्सर सोचा है कि यदि भाग्य प्रबल रहा होता तो जवाहर लाल के बजाय पटेल ही नेतृत्व संभालते और भारत बिल्कुल अलग तरह से प्रगति की राह पर आगे बढ़ चुका होता।'' एक प्रशासक की हैसियत से भी पटेल जी ने नौकरशाही एवं अफसरशाही पर अपनी छाप छोड़ी, जिसके बारे में उन्होंने गुजराती शैली में चर्चा की –''आज की बदलती हुई परिस्थितियों में सरकारी तंत्र शिथिल हो चुका है। आज तक यह कहा जाता था कि ब्रिटिशों का शासन यहां हमेशा के लिए होगा, इसलिए अफसरशाही और नौकरशाही गंभीरता से कार्य करती थी। लेकिन अब ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अस्त हो रहा है, इसलिए अधिकारी सुस्त हो चुके हैं। मैं नहीं कहता कि यहां लोग गलत है, बल्कि अधिकारी सोचते हैं कि उनको विवाद में नहीं पड़ना चाहिए।''[6]

सरदार पटेल का मानना था कि पड़ोसी देश भी हमारे सम्मुख गंभीर राजनीतिक, सामाजिक एवम् प्रशासनिक चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। ये पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बर्मा (म्यांमार) आदि है। कबीलों के टुकड़ियों के योजनाबद्ध आक्रमण, शरणार्थियों की समस्याएं, हथियारों के व्यापार, नशीले ड्रग्स के व्यापार एवं अन्य चुनौतीपूर्ण गतिविधियों ने देश के सरकारी प्रशासनिक तंत्र के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। अंतर्राष्ट्रीयवाद की गहरी आलोचना करने के बावजूद वो ही पहले ऐसे व्यक्ति रहे थे, जिन्होंने सन् 1950 में चीनी महत्वाकांक्षाओं पर सकारात्मक रूख रखा। उनका स्पष्ट विचार था कि ''चीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर इतना तूल भी नहीं देना चाहिए, बल्कि जिन क्षेत्रों में वे असंतुष्ट है, या जहां भी उनके साथ संपर्क में कमी है, और जहां कहीं भी उनके साथ स्थितियों को संभालने में मुश्किलें आती हैं, हमें उनके साथ तालमेल बनाए रखना चाहिए।'' जहां कहीं भी प्रशासन में दोष दिखा, सरदार पटेल ने इसके लिए निदान भी बताए। इनके द्वारा बताए गए निदानों में कैबिनेट का पुनर्गठन, पुलिस एवं अफसरशाही में व्यापक फेरबदल, कांग्रेस पार्टी में सुधार पर बल, सेना का पुनर्गठन और समाज के सामाजिक एवम् आर्थिक समूहों में नये प्राण फूंकना इत्यादि शामिल रहे।

राष्ट्र के लिए मूल्यः

जहां तक मूल्यों का सवाल है, ये किसी की भी भावनाओं का उपज होती है जो अंततः उसकी प्राथमिकताओं में जाकर शामिल हो जाती हैं ये प्राथमिकताएं व्यक्ति विशेष के लिए सामाजिक विशेष बन जाते है, जिसे वो स्वयं गढ़ता है। सामाजिक उद्देश्य जो व्यक्ति विशेष के द्वारा रचे या गढ़े गए होते हैं। उसके जीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं। इस दृष्टि से, यह अनिवार्य है कि हम पटेल के सामाजिक एवम् राजनीतिक तथ्यों की पड़ताल करें और उनके उन मूल्यों का विश्लेषण करें जिसका इस्तेमाल उन्होंने इस देश को बनाने के लिए किया था। यहां इस संदर्भ में उन्हीं के सामाजिक–आर्थिक मूल्यों को परखने की कोशिश की गई है। पटेल के जीवन–वृत्त निश्चित रूप से कुछ ऐसे तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं जिसने शोषण के खिलाफ एवं अभिव्यक्ति ने जीवन के अधिकारों, सम्पत्ति के अधिकारों, धर्म के अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाईयां लड़ी। मावलंकर उनके सहयोगियों में शामिल रहे जिन्होंने उल्लेख किया–''पटेल कभी भी किसी भी जज को अवहेलना करने के लिए अनुमति नहीं देते, न तो नम्रता की सीमा को पार करते, ना ही किसी भी अनुचित कार्य को बर्दाश्त करते वो किसी को भी नहीं बख्शते चाहे वो जज, पुलिस या अभियोजन अधिकारी ही

क्यों न हो। उन्होंने कोर्ट–कचहरी और जनता के आत्म सम्मान की हमेशा रक्षा की।''[8] ब्रिटिश साम्राज्य में राजस्व के मामले में अत्यधिक शोषण की उन्होंने आलोचना की। अफसरशाही के खिलाफ ग्रामवासियों में क्रांति का बिगुल फूंकने और अभियान चलाने के प्रति उन्होंने अपना अप्रतिम योगदान दिया। ब्रिटिश साम्राज्य में व्यापक पैमाने पर राजस्व की दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा– ''आज लाख रुपये का सवाल नहीं है, बल्कि यह आत्म सम्मान का मामला है। सरकार की यही नीति हो गई है कि हमें बिना विश्वास में लिए वो राजस्व की नीतियां थोपे चली जा रही है। उनको बिना आपके और हमारे दृष्टिकोणों को जाने नीतियां बनाने का हक नहीं है। आपको इसके बारे में पंचायत प्रणाली या मध्यस्थता प्रणाली का सहारा लेना चाहिए।''[9] उन्होंने शाही रियासतों की भी आलोचना की। उन्होंने बड़ौदा रियासत की जनता के प्रति बेपरवाही के लिए गहरी आलोचना की क्योंकि गुजरात में बाढ़ के समय जनता की घोर उपेक्षा की थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वे हमेशा पक्षधर रहे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपनी निराशा को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने कहा– ''रॉलेट एक्ट ने हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खो दिया है। जब लोगों ने इस अनाचार एवं अत्याचार फैलाने वाले विधेयक का विरोध किया, तो सरकार ने इनके विरोध का दमन कर दिया और सरकारी अधिकारियों ने उन हर प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जो जन विरोधी रहे।''[10] एक शिक्षाविद् के रूप में भी उनका विश्वास था कि हरेक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। ताकि वो अपनी निजी कला कौशल का विकास कर सके। उन्होंने माना कि ''यदि कोई चिकित्सक बुरा है तो न जाने कितने लोग प्रभावित होंगे, यदि कोई व्यापारी बुरा है तो वह स्वयं दिवालिया हो जाएगा, लेकिन बहुत ही कम लोग इससे प्रभावित होंगे, यदि कोई वकील बुरा है, तो वो कुछ मुकदमों को चौपट करेगा लेकिन यदि कोई अध्यापक बुरा है तो वो न जाने कितने व्यक्तियों का जीवन चौपट कर देगा।'' वे हमेशा प्रेस के खिलाफ अंकुश लगाने वाली ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ रहे। अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि–'' प्रेस को छीन लिया गया है और वो अब सरकार के कब्जे में है। सरकार के हर कदम सच्चाई को दबाने के लिए है, लेकिन कोई भी अध्यादेश सच्चाई की आवाज को कैद नहीं कर सकता है।''[11]

हिंदू धर्म में व्यापक सुधार के साथ उन्होंने मुस्लिमों के विश्वास को भी कायम रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मुस्लिमों के द्वारा किये गये योगदान को महसूस करते हुए उनकी सराहना की, जब मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन के दौरान कांग्रेस में परिवर्तन के पक्षधरों एवं परिवर्तन के विरोधियों के मध्य खाई को पाटने का प्रयास किया।'' कराची में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान (सन् 1931) में अपील की कि– ''एक हिन्दू के रूप में मैं अपने पूर्वजों के सूत्र पर अमल करूँगा लेकिन हम अल्पसंख्यकों को कागज और कलम भी देते है कि वो अपनी पूरी माँगे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें और हम उन्हें आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम दिल से एक होना चाहते हैं, न कि कागजी तौर पर जो कि थोड़ी सी कसक से भी टूट जायें। एकता तभी संभव है, जब बहुमत वाली जनता अपने दोनों हाथों से हिम्मत जुटाए और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चले।'' पटेल ने अन्य धार्मिक संप्रदायों के प्रति भी अपनी शुभचिन्ता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ''यह सोचना हमारी मूर्खता है कि सिक्ख और अन्य समुदायों के मध्य हमारे मतभेद है। हम एक है। यह धरती विविध धर्मों, पोशाकों और शैलियों का देश है। हमें इस विविधता को कायम रखने के लिए एकता को विकसित करना पड़ेगा।''[12]

सरदार पटेल हमेशा राजनीतिक अधिकारों को पाने के लिए सचेत रहे ताकि जनता राजनीतिक प्रक्रिया

में भाग लेने के लिए सक्षम हो सके। इस संदर्भ में उन्होंने चुनाव में भाग लेने, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने और राजनीतिक सत्ता कायम रखने पर बल दिया। सच्चे लोकतंत्र के हिमायती के रूप में उन्होंने लोकतांत्रिक साधनों के प्रचार–प्रसार पर बल दिया ताकि देश के राजनीतिक दृश्य में परिवर्तन हो सके। उन्होंने कहा कि ''क्रांति के बल पर नहीं वरन् बैलेट बॉक्स से सरकारें बदली जा सकती है। बमों से क्रांति नहीं आ सकती। ये क्रांति के प्रतीक कभी नहीं हो सकते हैं। ये सब पागलों की कारस्तानी है।'' वे वयस्कों के मताधिकार के प्रति रूचि रखते थे ताकि निर्वाचन प्रणाली में जो भी मुश्किलें एवं सीमायें हैं, उससे निजात मिल सके और समाज के उच्चतम और निम्नतम वर्ग के लोगों की सत्ता में भागीदारी कायम हो सके।''[13]

अंततः सरदार पटेल के एक और गुण की तरफ हमारा ध्यान जाता है कि वो समकालीन समाज में जातिगत असमानता के प्रति भी सजग और सचेत रहें। वे सदियों से चली आ रही वर्ण भेद से युक्त व्यवस्था के भी विरूद्ध रहे। सरदार पटेल हमेशा अस्पृश्यता के खिलाफ रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ''भारत में ढ़ेर सारे अंधविश्वास कायम है जो धर्म के नाम पर थोपे गए हैं। हम नीची जातियों को भोजन तो देते हैं, लेकिन उनके सामने थोड़ी दूर पर फेंक कर देते हैं। इस प्रकार यदि किसी को भोजन दिया जाता है तो यदि कोई अस्पृश्य है, तो उसे अपराधी की दृष्टि से देखा जाता है।'' सरदार पटेल ने इस तरह की हरकतों की आलोचना की क्योंकि ये मनुष्यों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि ''ऐसा लगता है कि तुम्हारा रखवाला कोई दूसरा है। संसार में इससे बढ़कर कोई रोग नहीं है। जिस तरह हम किसी भी जानवर के रखवाले हैं, उसी तरह इन आदमियों के भी हम रखवाले हो जाते हैं। हमारा तो केवल एक ही रखवाला है, और वह ईश्वर है। उसी ने हमें और आपको इस दुनिया में पैदा किया है। सरदार पटेल समाज से लिंग भेद भी खत्म कर देना चाहते थे।[14]

सरदार पटेल का मानना था कि पर्दा प्रथा से महिलाओं का जीवन बाधित होता है और उनका समूचा विकास प्रभावित होता है। वे सलाह देते हुए कहते हैं– ''बहनों, मैं दासता के प्रतीकों को पसंद नहीं करता हूं। तुम्हारे हाथों और पैरों पे गुलामी के निशान देखना पसंद नहीं करता हूं। तुम्हारे ये भारी–भरकम आभूषण गंदगी पैदा करते हैं, इनसे चमड़ी की बीमारियां होती हैं और ये तुम्हारे स्वतंत्र गतिविधियों में खलल डालते हैं।''[15] इस संदर्भ में उन्होंने ज्योति संघ और कस्तूरबा ट्रस्ट का समर्थन किया क्योंकि ये संस्थाएं नारियों के विकास के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सरदार पटेल के राजनीतिक मूल्यों में उदारवाद, कल्याण की भावना, लोकतंत्र संरक्षणवाद और राष्ट्रवाद का पुट था।

निष्कर्ष:

सरदार पटेल वाकई में वास्तविकतावादी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कभी भी कोरे राजनीतिक दर्शन पर भरोसा नहीं किया। वे वाकई में सच्चे स्वतंत्रता सेनानी रहे। वे एक कुशल प्रशासक और निष्ठावान देशभक्त थे। वे जननायक, चतुर कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ और गंभीर नेता थे। वे गांधीजी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। विशेष रूप से गांधीजी का अहिंसा पर आधारित दर्शन उन्हें प्रिय था। यदि सरदार पटेल नहीं होते तो शाही रियासतों के विलय का यह दुःसाध्य कार्य पूरा नहीं हो पाता। यदि नेहरू भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्माता है तो सरदार पटेल संयुक्त भारत के मुख्य निर्माता है। वे एक ऐसे महापुरुष के रूप में स्मरणीय हैं जिन्होंने भारत को संयुक्त किया और इसलिए उनकी तुलना बिस्मार्क से की जाती है। अपने गंभीर और

मेहनतकश प्रयासों से पटेल ने एक राष्ट्र को खड़ा करके अतुलनीय उपलब्धि हासिल की जिसका हमारे इतिहास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। समकालीन राजनीति के संदर्भ में वो एक ऐसे इंसान के रूप में उभरे जिसने देश के निर्माण के लिए अनेक साहसिक निर्णय लिए। राष्ट्र निर्माण उनका ऐसा अतुलनीय योगदान है जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे और उनका विशालकाय कद एकीकृत भारत के प्रतीक के रूप में देश की जनता की यादों में हमेशा जीवित रहेगा।

संदर्भः

1. एन.डी. पारीख, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टव्स्ण 1ए नवजीवन, अहमदाबाद, 1953, पृष्ठ–87–8
2. सादेश सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेलः आधुनिक भारत के निर्माता, VOL. 30, 2018, पृष्ठ 215
3. पी.एन. चोपड़ा, भारत का सरदार, कोणार्क प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995, पृष्ठ 277
4. बी. कृष्णा, सरदार पटेलः भारत के लौह पुरुष, इंडस प्रकाशन, नई दिल्ली, 1945, पृष्ठ 476
5. यंग इण्डिया, 16 फरवरी, 1929
6. द बॉम्बे क्रोनिकल, 9 सितम्बर, 1927
7. द हिन्दुस्तान टाइम्स, 10 जुलाई, 1930
8. प्रजाबन्धु, 8 मई, 1938
9. द बॉम्बे क्रोनिकल, 23 मार्च, 1928
10. द टाइम्स ऑफ इण्डिया, 7 अप्रैल, 1947
11. वी.पी. वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, आगरा, 1961
12. ए.एस.प्रभा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी, नई दिल्ली, 2015
13. द टाइम्स ऑफ इण्डिया, 7 अप्रैल, 1947
14. सुचेता महाजन, स्वतंत्रता और बँटवारा, नई दिल्ली, 2000
15. गुजरात समाचार, 6 जनवरी, 1935